न्यायालय— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश पीठासीन अधिकारी— केशव सिंह

<u>तारा जायकारा— कराव 1राह</u> आपराधिक प्रकरण कमांक 105/2009

संस्थापित दिनांक 20.02.2009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— गोहद चौराहा जिला भिण्ड म०प्र०

<u>..... अभियोजन</u>

बनाम

.1 देशराज पुत्र हरदयाल कुशवाह आयु— 43 साल व्यवसाय ड्रायवरी निवासी— ग्राम गिरंखी,जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्त

<u>::- निर्णय -::</u>

(आज दिनांक 14/11/14 को घोषित किया)

- 1. आरोपी के विरूद्ध मा0द0वि0 की धारा 279,337,तथा 304ए के अंतर्गत आरोप है कि दिनांक 11/02/09 के 9:00 बजे भिण्ड ग्वालिर रोड बम्बा के पास सार्वजिनक मार्ग पर आटो कमांक एम.पी.07आर.0460 को तेज व लापरवाहीपूर्वक चलांकर मार्ग पर आवागमन कर रहे लोगों के जीवन को संकटापंन कारित किया व आटो कमांक एम.पी.7आर.0460 को तेज व लापरवाहीपूर्वक चलांकर पलट दिया जिससे शिवनारायण,प्रियंका,रामहेत व अनिल को उपहति कारित हुई एवं आटो कमांक एम.पी.07आर.0460 को तेज व लापरवाही से चलांकर पलट दिया जिससे रामहेत को रीढ की हडडी में उपहति हुई जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु दिनांक 20/3/09 को हो गई जो मानववध की कोटि में नहीं आती।
- 2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया अंजली मिश्रा ने दिनांक 11/2/09 को 12:15 बजे पुलिस थाना गोहद चौराहा पर इस आशय की जुवानी रिर्पोट की कि वह ग्राम बिरखडी की रहने वाली है। आज वह तथा प्रियंका,विश्वनारायण,रामहेत बिरखडी से गोहद चौराहा के लिये आटो कमांक एम.पी.07आर.0460 में बैठकर आ रही थी आटो कमांक एम.पी.07आर.0460 का चालक तेजी व लापरवाही से आटो चला रहा था जिसे काफी मना किया लेकिन नहीं मना करीब सवा बारह बजे भिण्ड ग्वालियर रोड बंबा के पास आटो चालक ने तेजी व लापरवाही से आटो चलाकर पलट दिया जिससे उनके चोटें आई।

- 3. फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना गोहद चौराहा द्वारा अप0क019/09 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान आहत रामहेत की मृत्यु हो गई इसलिये मृतक रामहेत के शव का शव परीक्षण कराया गया तथा आरोपी को गिरफतार करपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 4. प्रकरण में न्यायालय द्वारा आरोपी के विरूद्ध भा0द0वि0की धारा 279,337व304ए केअंतर्गत आरोप विरचित किये जाकर आरोपी को सुनाये व समझाये गये तो उसने आरोपित आरोप करने से इंकार किया तथा अभिवाक दर्ज किया गया।
- 5. प्रकरण में आरोपी को द0प्र0स0 की धारा 313 के तहत परीक्षा प्रतिरक्षा में प्रवेश कराये जाने पर आरोपी ने अपने बचाव में बचाव साक्ष्य न देते हुये यह व्यक्त किया है कि वह निर्दोष है उसे झूँठा फंसाया गया है।

6. प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न यह हैकि:—

- 1. क्या आरोपी ने आटो कमांक एम.पी.07आर.0460 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानवजीवन संकटापंन कारित किया?
- क्या आरोपी ने आटो कमांक एम.पी.07आर.0460 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर शिवनारायण, प्रियंका.रामहेत व अंजली को स्वेच्छा उपहति कारितकी?
- उपा आरोपी ने आटो कमांक एम.पी.07आर.0460 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर आहत रामहेत की ऐसी मृत्यु कारित की जो मानववध की श्रेणी में नहीं आती?

सकारण निष्कर्ष

- 7. प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में केशव प्रसाद शर्मा आ0सा01,मथुराप्रसाद आ0सा02,बालकृष्ण जोशी आ0सा03,रमेश कुमार शर्मा आ0सा04,सतीश शर्मा आ0सा05,विश्वनारायण शर्मा आ0सा06,अंजली मिश्रा आ0सा07,डॉ0आलोक शर्मा आ0सा08 को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है।
- 8. प्रकरण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए विचारणीय प्रश्नों की विवेचना एक साथ की जा रही है जिसके संबंध में केशवप्रसाद शर्मा आ0सा01 का कहना हैकि रामहेत शर्मा की मृत्यु दुर्घटना में हुई थी मृत्यु की सूचना पुलिस को दी थी रामहेत चचेरा भाई था। एक्सीडेट चौराहा व बिरखडी के पास हुआ था। फिर उसको पुलिस अस्पताल गोहद ले गई फिर उसको ग्वालियर ले गये थे। साक्षी एक्सीडेट

के बाद पहुच गया था। रामहेत की एक्सीडेट में रीढ की हडडी टूट गई जिसका लगभग एक सवा महीने इलाज चला था जिसके दौरान उपचार उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस को जाच में कथन दिये थे और हस्ताक्षर किये थे। उसने मृत्यु की सूचना पहले एण्डौरी को दी थी जो प्र0पी01 की है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। मर्ग इण्टीमेशन प्र0पी01 की है पुलिस ने घटनास्थल जहां ग्राम एंनो में मृत्यु हुई थी नक्शा मौका बनाया जो प्र0पी02 का है। जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर पुलिस ने मृत्यु समीक्षा की सूचना दीथी जो प्र0पी03 का है जसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं पुलिस ने शव का पंचायतनामा बनाया था जो प्र0पी04 काहै जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने परीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया हैकि उसने डायवर को आज तक नहीं देखा है और सामने होने पर भी वह नहीं पहचान सकता है। लेकिन साक्षी के कथनों से यह तथ्य प्रमाणित होता हैकि दुर्घटना में रामहेत के घायल होने के बाद दुर्घटना के परिणाम स्वरूप दौराने इलाज उसकी मृत्यु हुई थी।

- 9. मथुराप्रसाद आ०सा०२,का कहना हैकि रामहेत की मृत्यु इलाज के दौरान हुई थी। दुर्घटना में एक्सीडेट में जो चोटें आई थी उसके कारण उसकी मृत्यु हुई थी। एक्सीडेट बिरखडी पर हुआ था जिसमें उसकी रीढ की हडडी टूट गई थी जिसका इलाज जे०ए०एच०ग्वालियर में हुआ था पुलिस ने प्रकरण में जांच की थी सफीना फार्म प्र०पी०३ का है जिस पर उसका निशानी अंगूठा लगा है। नक्शा पंचायतनामा प्र०पी०4 का है जिस पर उसका निशानी अंगूठा लगा है। साक्षी का कहना हैकि घटना के समय वह अपने गांव एन्हों में था उसकी चाची जो गोहद में रहती है उसने उसे फोन पर सूचना दी थी। पुलिस वालों ने 03,04 कोरे कागजों पर हस्ताक्षर कराये थे उसमें क्या लिखा था उसे नहीं पता। साक्षी के कथनों से इस तथ्य का समर्थन होता हैकि मृतक रामहेत को सडक दुर्घटना में चोटें आई थी जिसमें रामहेत की रीढ की हडडी टूट गई जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हुई थी। साक्षी ने कंडिका—2 में यह स्वीकार कियाहैकि एक्सीडेट किसने किया वह नहीं बता सकता। इस साक्षी के कथनों से वाहन चालक की पहचान सुनिश्चत नहीं होती है।
- 10. रमेश कुमार शर्मा आ0सा04 का कहना हैकि वर्ष 2009 की घ ाटना है। रामहेत का गोहद चौराहा और बिरखड़ी के बीच में एक्सीडेट हो गया था जिसमें रामहेत की रीढ़ की हड़ड़ी में चोट आई थीं फिर उसके बाद गोहद अस्पताल ले गया उसके बाद ग्वालियर अस्पताल ले गये। दुर्घटना के 10 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद पुलिस ने उनको बुलाया था और उनको नोटिस दिया था जो प्र0पी03 का है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने शव का नक्शा पंचायतनामा बनाया जो प्र0पी04 का है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। रामहेत की मृत्यु उसके मत में एक्सीडेट से हुई थी। साक्षी के कथनों से नक्शा पंचायतनामा प्र0पी04 का प्रमाणित होता है।

- 11. सतीश शर्मा आ0सा05 क कहना हैकि करीब 05 साल पहले रामहेत शर्मा का गोहद चौराहा व बिरखडी के बीच एक्सीडेट हो गया था। रामहेत की रीढ की हडडी में चोट आई थी फिर उसके बाद अस्पताल ले गयें और अस्पताल से ग्वालियर ले गये थे। दुर्घटना के 10 दिन बाद रामहेत की मृत्यु हो गई मृत्यु के बाद पुलिस ने नोटिस देकर उसको बुलाया था। नोटिस प्र0पी03 का है जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने नक्शा पंचायतनामा बनाया था नक्श पंचायतनामा प्र0पी04 का है जिसके सी से नक्शा पंचायतनामा प्र0पी04 का है जिसके हस्ताक्षर है। साक्षी के कथनों से नक्शा पंचायतनामा प्र0पी04 का प्रमाणित होता है।
- 12. विश्वनारायण शर्मा आ०सा०६,का कहना हैकि करीब 04,05 साल पहले एक आटों में बैठकर बिरखड़ी से गोहद चौराहा के लिये आ रहा था गोहद चौराहा के पास में हरगोविंद पुरा के पास भिण्ड ग्वालियर रोड पर एक आटो वाला आटो को चला रहा था। रास्ते में एक लड़का जा रहा था उस लड़के को बचाने के चक्कर में चालक ने गाड़ी को इधर उधर किया तो आटो पलट गई जिसमें उसे व अन्य सवारियों को चोटें आई थी। साक्षी ने वाहन चालक व वाहन को चलाने के संबंध में कथन न देने के कारण साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे गये इसके उपरांत भी साक्षी ने आरोपी के द्वारा वाहन को तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाकर दुर्धटना कारित किये जाने की घटना का समर्थन नहीं किया है।
- 13. अंजली आ०सा०७ का कहना हैकि घटना के समय बी.ए.द्वितीय वर्ष में पढ रही थी। बिरखडी से प्रतिदिन पढने को जाती थी प्रियंका,आरती,के साथ वह गोहद चौराहा के लिये एक आटों में आ रहे थे आटो चलते में डगमगाया और पलट गया ।जिससे उसके सिर में चोट आई थी और अन्य सवारियों को चोटें आई थी। साक्षी ने शेष घटनाकम के संबंध में कथन न देने के कारण साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही ६ गोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया हैकि वाहन के चालक ने आटो को तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुये दुर्घटना कारित की थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका—3 में स्वीकार किया हैकि न्यायालय में हाजिर व्यक्ति घटना दिनांक को आटो नहीं चला रहा था।
- 14. डॉ०आलोक शर्मा आ०सा०८ का कहना हैकि दिनांक 11/2/09 को सी०एच०सी०गोहद में मेडीकल आफीसर के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को उसने आहत विश्वनारायण का मेडीकल परीक्षण किया था। परीक्षण में दायी कलाई में 03 बाई 02 से०मी० नील का निशान पाया था जिसे एक्सरे की सलाह दी गई थी। जिसके द्वारा उसके द्वारा रिपोंट तैयार की गई जो प्र०पी०९ की है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। डॉ०आलोक शर्मा के द्वारा आहत प्रियंका भी चिकित्सीय परीक्षण किया

गया परीक्षण के दौरान बायी कलाई में 03बाई01 से0मी0 का नील का निशान पाया था जिसे एक्सरे की सलाह दी गई थी जिसकी मेडीकल रिपोंट प्र0पी010 की है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने उसी दिनांक को आहत रामहेत का चिकित्सीय परीक्षण किया था परीक्षण के दौरान सिर में बायी कॉन के पीछे 07बाई 0.3बाई 0.2 से0मी0आकार का फटा हुआ घाव पाया था जिसकी रिपोंट की गई जो प्र0पी011 की है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसी दिनांक को उसने आहत अंजली का चिकित्सीय परीक्षण किया था परीक्षण के दौरान माथे पर 03बाई 02 से0मी0 नील का निशान पाया था जिसकी रिपोंट उसने तैयार की थी जो प्र0पी012 की है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी के कथनों से इस तथ्य का समर्थन होता हैकि दुर्घटना दिनांक को आहत विश्वनारायण,प्रियंका,रामहेत,व अंजली के शरीर पर चोटें मौजूद थी।

- बालकृष्ण जोशी आ०सा०३ का कहना हैकि 15. 11/2/09 को थाना गोहद चौराहा पर प्र0आर0 आरक्षक गश्ती के पद पर पदस्थ था उसी दिनांक को अप०क019/09 धारा279,337,की विवेचना उसे प्राप्त हुई थी। उसी तारीख को मौके पर पहुचकर फरियादी की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्र0पी02 का है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है । प्रथम सूचना रिर्पोट प्र0पी04 की है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने अंजली प्रियंका,विश्वनारायण,रामहेत के कथन लेखबद्ध किये थे। साक्षी के द्वारा देशराज को गिरफतार करगिरफतारी पंचनामा तैयार किया था जो प्र0पी05 का है जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षरहै। साक्षी के द्वारा टेम्प कमांक एम.पी.07आर.0460 का जप्ती पंचनामा तैयार किया था जो प्र0पी06 का है । जिसके एसेए भाग पर उसके हस्ताक्षरहै। प्रकरण मे मर्ग कमांक 02 / 09 थाना एण्डौरी से प्राप्त करसंलग्न कर धारा304ए का इजाफा किया था ।
- 16. साक्षी के द्वारा जो अनुसंघान किया है यह ने यह स्वीकार किया हैकि विवेचना के समय उसने यह जानकारी लेने की कौशिश नहीं की थी कि साक्षी कितने दिन घर और कितने दिन अस्पताल में रहा था। मेडीकल रिपॉट प्र0पी011 का अवलोकन करें तो रामहेत की रीढ की हडडी में प्रारंभिक मेडीकल रिपॉट में कोई चोट नहीं है। जबकि साक्षी केदार प्रसाद शर्मा आ0सा01,मथुराप्रसाद आ0सा02,रामकुमार शर्मा आ0सा04,सतीश शर्मा आ0सा05 के द्वारा रामहेत की मृत्यु रीढ की हडडी में चोट आने के कारण हुई है। ऐसी स्थिति में अगर अनुसंघानकर्ता मामले की गहराई में जाकर आहत की मृत्यु के संबंध में साक्ष्य एकत्रित करने की कौशिश करता तो निश्चित ही सही व स्पष्ट जानकारी अनुसंघान के दौरान प्राप्त हो सकती थी कि मृतक रामहेत की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई है। चूंकि

प्रारंभिक मेडीकल रिर्पोट डॉक्टर आलोक शर्मा के द्वारा तैयार की गई जो प्र0पी011 की है जिसमें रीढ की हडडी में चोट होने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है इसलिये अनुसंधानकर्ता द्वारा किया गया अनुसंधान प्रदूषित कहा जा सकता है।

- 17. प्रकरण में केशवप्रसाद शर्मा आ0सा01,मथुराप्रसाद आ0सा02, ह ाटना के अनुश्रुत साक्षी है जिन्हें आरोपी की पहचान के संबंध में न्यायालीन अभिलेख पर कोई कथन नहीं दिय है। रमेश कुमार शर्मा आ0सा04,सतीश शर्मा आ0सा05,दोनों नक्शा पंचायतनामा के साक्षी है। विश्वनारायण आ0सा06,अंजली आ0सा07 दोनों ही घटना के चक्षुदर्शी साक्षी है जिनके द्वारा वाहन चालक को पहचानने से इंकार किया है।
- 18. प्रकरण में न्यायालीन अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर किसी भी साक्षी के कथनों से वाहन चालक की पहचान सुनिश्चित नहीं होती है इसलिये आरोपी देशराज के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होते है।
- 19. आरोपी देशराज के विरूद्ध आरोपित आरोप भा0द0वि0की धारा 279,337 तथा 304ए के पूर्णतः अप्रमाणित पाये गये। अतः आरोपी को उक्त आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपी के जमानत मुचलके भारहीन होने से उन्मोचित किये जाते है।
- 20. प्रकरण में जप्तशुदा टेम्पू कमांक एम.पी.07आर.0460 देशराज की सुर्पुदगी में है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधिपश्चात स्वमेव निरस्त माना जावे अपील होने पर अपीलीय न्यायालय के निर्णयानुसार सम्पत्ति निराकृत की जाये।
- 21. प्रकरण में पूर्व से ही घारा 437ए द0प्र0स0 के तहत जमानत प्रस्तुत कर दी गई है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ता० व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देश पर टाईप किया

हस्ता०सही जे०एम०एफ०सी०गोहद जिला भिण्ड हस्ता०सही जे०एम०एफ०सी०गोहद जिला भिण्ड